

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19.11.2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 18-11-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

दिनांक 18-11-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन/अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा यातायात माह नवम्बर के दृष्टिगत एम0वी0 एकट के तहत कार्यवाही करते हुये 352 वाहनों से 387200/ रु0 समन शुल्क वसूल किया गया।

01- थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त इन्द्र देव वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा सा0 जोलहा भारी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 237/2020 60 आब0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

02- थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक पुत्र मिटठू सा0 तिलौरा थाना तौलिहवा जनपद कपिलवस्तु राज्य नेपाल के के कब्जे से 2 बोरी यूरिया खाद मय पुरानी साइकिल कीमती करीब 3000/-रुपये बरामद कर 11 कस्टम एकट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की गयी।

03- थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा धारा 354ख,506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एकट में वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र शेषमन सा0 पटखौली टोला बरगदवा थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आज दिनांक 19-11-20 को संपूर्ण जनपद में सघन बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जनपद के समस्त थानों द्वारा क्षेत्र के बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों में व इनके आस-पास सघन चेकिंग की गयी एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गयी।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 19-11-20 को पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में चल रहे रिक्रूटों के प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा प्रशिक्षणरत रिक्रूटों के इनडोर क्लास में पहुंचकर रिक्रूटों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी एवं उनके अन्तः विषयों में दिये जा रहे प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी ली गयी तथा उनके अध्यापकों से वार्ता कर रिक्रूटों के व्यवहारिक ज्ञान एवं अन्तः विषयों से समुचित ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया।

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 19.11.2020

थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर से 02 अभियुक्तों को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री उमेश शर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक पथरा बाजार श्री रामदरस आर्या के नेतृत्व में आज दिनांक 19.11.2020 को एनसीआर व अन्य संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

प्रेस नोट दिनांक 19.11.2020
चाकू मारकर भागा अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये गए अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन व श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के नेतृत्व में आज दिनांक 19.11.2020 को उपनिरीक्षक श्री एच एन दिक्षित व हमराह पुलिस बल द्वारा दिनांक 12.11.2020 को थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घरुआर में सुभाष पुत्र विक्रम निवासी ग्राम घरुआर थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर को चाकू मारकर भागे हुए व्यक्ति विश्वनाथ उर्फ मजनू को ग्राम घरुवार में इंटर कॉलेज के पास से सुबह नौ बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू और 450 अवैध नशीली गोलियों की बरामदगी हुई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विश्वनाथ उर्फ मजनू पुत्र निवासी ग्राम घरुआर थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू ।
2. 450 अवैध नशीली गोलियां।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 297/2020 धारा 324 IPC & 4/25 A एक्ट थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।
2. मु0अ0सं0- 298/2020 धारा 8/23 NDPS एक्ट थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उपनिरीक्षक एच् यन दीक्षित, प्रभारी चौकी बढनी थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।
2. कां0 अभयनंदन, चौकी बढनी थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।
3. कां0 संजय, चौकी बढनी थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।
4. कां0 निशांत, चौकी बढनी थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट / सराहनीय कार्य दिनांक 19.11.2020

आज दिनांक 19.11.2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के दिशा निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में सर्किल इटवा के माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज में प्रभारी निरीक्षक इटवा, प्रभारी यातायात सिद्धार्थनगर द्वारा विद्यालय के बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की गई तथा पोस्टर पंपलेट भी वितरण किया गया साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया ।

प्रेस नोट / सराहनीय कार्य दिनांक 19.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राधेश्याम राय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 328/2020 धारा 354(क) (घ) भा.द.वि. से संबंधित अभियुक्त मो0 साजिद पुत्र बकरीदन उर्फ भल्लू सा0 बर्डपुर न0- 13 टोला कल्यानपुर थाना को0 सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के बारे में आज दिनांक 19.11.2020 को जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि मुकदमा बाला से संबंधित अभियुक्त उपरोक्त नेपाल जाने की फिराक में मधुबेनिया चौराहे पर सवारी के इन्तजार में खड़ा है। यदि जल्दी किया जाय तो गिरफ्तार किया जा सकता है। उक्त सूचना पर प्रभारी चौकी नौगढ उ0नि0 श्री राजेश शुक्ल मय हमराह मय मुखबीर के तत्समय मौके पर पहुँचे। मुखबीर द्वारा दूर से ईशारे से बताये गये व्यक्ति का नियमानुसार नाम, पता, तस्दीक करने के उपरान्त अभियुक्त मो0 साजिद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही में गिरफ्तार अभियुक्त मो0साजिद उपरोक्त को माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता-

मो0 साजिद पुत्र बकरीदन उर्फ भल्लू सा0 बर्डपुर न0- 13 टोला कल्यानपुर थाना को0 सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1-उ0नि0 श्री राजेश शुक्ला प्रभारी चौकी नौगढ, थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- मुख्य आरक्षी कनिकलाल मल्ल थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- आरक्षी राहुल खरवार थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 19.11.2020

शराब तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह व श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के निर्देशन में आज दिनांक 19.11.2020 को समय करीब 5.25 बजे उ.नि. श्री विक्रम अजीत राय मय हमराह हे.का. गिरीश चन्द्र त्रिपाठी, का. सत्यप्रकाश सिंह द्वारा मुखबीर की सूचना पर खुनुवां साप्ताहिक बाजार से एक अभियुक्त विकाश गुप्ता पुत्र चन्द्रभान गुप्ता निवासी मर्यादपुर थाना तौलिहवा जनपद कपिलवस्तु नेपाल को 60 शीशी नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 285/20 धारा 60/63 आबकारी अधि. का मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

विकाश गुप्ता पुत्र चन्द्रभान गुप्ता निवासी मर्यादपुर थाना तौलिहवा जनपद कपिलवस्तु नेपाल।

बरामदगी –

अभियुक्त के कब्जे से 60 शीशी नेपाली शराब बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम –

उ.नि. विक्रम अजीत राय चौकी प्रभारी खुनुवां थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
हे.का. गिरीश चन्द्र त्रिपाठी चौकी खुनुवां थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
का. सत्यप्रकाश सिंह चौकी खुनुवां थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 19.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा दिए गए निर्देश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन में आज दिनांक 19.11.2020 को श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डेबरूआ द्वारा उप निरीक्षक श्री अमित कुमार, उपनिरीक्षक श्री अम्बुज शर्मा तथा हमराह पुलिस बल के साथ यातायात माह और सड़क सुरक्षा सप्ताह के परिप्रेक्ष्य में डेबरूआ तिराहा के पास प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में सभी ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालकों को बुलाकर यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई। लोक हित से जुड़े उनके कार्य के महत्व को बताते हुए उससे लाभ और हानि के विषय में भी अवगत कराया गया तथा बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति सचेष्ट किया गया। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकायें भी उपस्थित रहीं।

प्रेस नोट दिनांक 19.11.2020

महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ गैरेस्टर एक्ट का मुकदमा।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा मु.अ.स. 210/2020 धारा 376डी, 323, 324, 452 व 34 भा.द.वि. से सम्बन्धित अभियुक्त गणों के विरुद्ध गैरेस्टर एक्ट की कार्यवाही हेतु पूर्व में ही गैंगचार्ट तैयार कर प्रेषित किया जा चुका था जो अधिकारी गणों की संस्तुति के आधार पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन होकर प्राप्त हुआ है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु.अ.स. 297/2020 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि. समय 19.30 बजे पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. बलिकरन केवट पुत्र मुराली केवट उम्र 30 वर्ष सा. बसहिया टोला लक्ष्मीनगर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. रामू केवट पुत्र हरिराम केवट उम्र 26 वर्ष सा. बसहिया टोला लक्ष्मीनगर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 19.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व श्री जय प्रकाश दूबे, थानाध्यक्ष मोहाना के निर्देशन में आज दिनांक 19.11.2020 को समय करीब 08.40 बजे उ0नि0 ओमप्रकाश तिवारी मय हमराह का0 दिनेश चन्द्र यादव द्वारा मुखबीर की सूचना पर वहद ग्राम डफालीपुर मोड से एक अभियुक्त सूरज पुत्र स्व0 राजनाथ साकिन पननी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 259/2020 धारा 4/25 A.Act का मुकदमा पंजीकृत किया गया।

प्रेस नोट दि019.11.2020

अवैध नेपाली शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी , पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन मे अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत श्री मायाराम वर्मा , अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के दिशा निर्देशन व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 19.11.2019 को उ0नि0 किशोरी लाल चौधरी व का0 आशीष कुमार साहनी द्वारा अभियुक्त हरिश्चन्द्र उर्फ रामू पुत्र रामनरायन निवासी पिपरसन थाना कपिलवस्तु जिला सिद्धार्थनगर को 20 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 127/2020 धारा 60ex. act पंजीकृत किया गया ।

प्रेस नोट थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 19.11.2020 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में श्री अवधनरायन यादव प्रभारी निरीक्षक लोटन के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 142/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मोहम्मद हुसैन पुत्र नसीब अली ग्राम पचगंगपुर टोला नरायनपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज को 12 शीशी नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया ।